ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-5* Issue-6* July- 2020
Innovation The Research Concept

भारतीय राजनीति में महिला – पुरूष सहभागिता
Men–Women Participation in Indian Politics

Paper Submission: 12/07/2020, Date of Acceptance: 20/07/2020, Date of Publication: 21/07/2020

सविता शर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
बाबा नारायणदास राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा,
जयपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

भारतीय राजनीति में महिला – पुरूष सहभागिता की जड़ें वैदिक युग से ही परिलक्षित होती हैं। इस समय महिलाओं की स्थिति राजनीतिक दृष्टि से बहुत अच्छी थी। लेकिन समय के प्रवाह के साथ – साथ यह स्थिति बिगड़ती चली गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस समस्या को गहराई से समझा और उन्होंने स्त्री को पुरूष की सहचरी तथा समान बौद्धिक क्षमताओं वाला माना। भारतीय संविधान में भी इस सम्बन्ध में प्रावधान किए गए। 73वें एवं 74वें संविधान संषोधन के द्वारा महिलाओं को स्थानीय स्तर पर न्यूनतम एक तिहाई स्थानों पर आरक्षण दिया गया। इस आरक्षण ने महिलाओं की सहभागिता में मात्रात्मक के साथ सक्रिय गुणात्मक अभिवृद्धि भी की हैं।

The participation of man and women in Indian politics is rooted from in the Indian politics from the Vedic age. The condition of women was quite good from the political point of view. The condition of women deteriorated with the passage of time. The father of the nation Mahatma Gandhi realized the depth of the problem considered man and women as equals and having equal intellect. Indian constitution made a provision for one third reservation for women by the 73rd & 74th amendment. The reservation has led to the qualitative and active quantitative increase in the participation of women.

मुख्य शब्द : सहभागिता, महिला षक्ति, उदार, राजनीतिक व्यवस्था, मताधिकार, विरासत, संषोधन, महिला सषक्तिकरण।
Participation, Women Power, Liberal, Political System, Right to Vote, Legacy, Amendment, Women Empowerment.

प्रस्तावना

''नारी पुरूष की सहचरी है और उसमें पुरूष के समान ही बौद्धिक क्षमताएँ भी होती हैं। उसे पुरूष की हर गतिविधि में भाग लेने का अधिकार है और उसे पुरूष की भॉति ही स्वतंत्रता और स्वाधीनता भी प्राप्त है। केवल समाज में व्याप्त कुरीति के आधार पर ही महाअज्ञानी और अयोग्य व्यक्ति भी महिलाओं पर अपनी श्रेष्ठता बनाए हुए हैं, जिसके वे सर्वथा अयोग्य हैं और उन्हें (पुरूषों को) इस प्रकार का महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।[1]

–महात्मा गांधी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्त्रियों के प्रति यह दृष्टिकोण यह स्पष्ट व्यारव्याचित करता है कि वे महिलाओं व पुरूषों में किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करते हैं। वे उसे पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति–पथ पर चलने वाली मानते हैं। वे तत्कालीन समय की उस सामाजिक बुराई को भी भी बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करते हैं कि पुरूष मात्र इस आधार पर अपने–आपको सर्वोच्च मानते हैं कि वे पुरूष हैं। अन्य दृष्टियों से वे भले ही स्त्री से कमतर हो फिर भी वे अपने आपको स्त्री से श्रेष्ठ मानने के मिथ्या अंहकार से ग्रसित हैं। गांधीजी की दृष्टि में भारत के अधःपतन का भी मुख्य कारण यही है कि भारतीय समाज एवं राजनीति में महिलाओं की सहभागिता नगण्य हैं। वे पुरूषों की अनुमति के बिना घर से बाहर कदम रखने की सोच भी नहीं सकती। पढ़ने–लिखने या अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कल्पना तक नहीं कर सकती। यही कारण है कि समाज का आधा भाग पूरी तरह से पक्षाघात (च्तं स्लेपे) से ग्रसित हो चुका है। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा, अज्ञानता, बहुविवाह, बालविवाह आदि कुरीतियों ने महिला समाज को तो पंगु बनाया ही है साथ में उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें भी देश की स्वस्थ नागरिक होने का अधिकार नहीं रखती हैं। अतएव गांधीजी ने सदियों से सुप्त

नारी शक्ति को जगाकर उन्हें भारत के स्वाधीनता संग्राम में जोड़ा। वे अपनी आत्मकथा में यह स्वीकार करते हैं कि वे स्वयं अपनी मॉ पुतली बाई, धाय रम्भा एवं पत्नी कस्तूरबा से अत्यधिक मात्रा में प्रभावित थे। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक को देखने के पश्चात् जब उन्होंने अपनी मॉ से यह प्रश्न पूछा कि मॉ लोग सच क्यों नहीं बोलते। तब उनकी मॉ के ये शब्द कि बेटा तू सच क्यों नहीं बोलता जिदंगी भर के लिए गांधीजी के प्रेरणादायी बन गया। उन्होंने मॉ के सामने यह प्रण लिया कि सदा सत्य बोलेंगे चाहे उन्हें कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़ें। सत्य के प्रति अनन्य निष्ठा ने नन्हें से शर्मीले मोहन को महात्मा गांधी में रूपान्तरित कर दिया। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधीजी अपना राजनीतिक गुरू (डल च्वसपजपबंस ळनतन.ळंचंस ज्ञतपींद ळवींसम) मानते थे। उन्हीं के निर्देशानुसार गांधीजी ने तकरीबन एक वर्ष तक भारत की जनता एवं उसकी समस्याओं का गहन अध्ययन किया और उन्होंने यह पाया कि भारतीय जनमानस अनेकानेक जटिल सामाजिक समस्याओं से पीड़ित है। उनमें स्त्रियों की दयनीय स्थिति अधिक महत्वपूर्ण है। अतः गांधीजी ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्वतंत्रता आन्दोलन में स्त्रियों को सहभागी बनाया जाए ताकि वे राजनीति के बारे में सोचें–समझें व आग बढ़कर अपनी क्षमताओं को देश सेवा के लिए अर्पित कर सकें।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थितिः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

वैदिक युग के प्रारम्भिक चरण में स्त्रियॉ अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र थीं और तत्कालीन सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग लेती थी। वैदिक परम्परा का दृष्टिकोण स्त्री के प्रति बहुत ही उदार एवं प्रगातिशील रहा है तथा उसने सदैव उसे एक ''शक्ति'' के रूप में देखा और आदर किया। वैदिक काल में स्त्रियॉ उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी और सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग लेती थी।[2] लेकिन वैदिक काल के प्रारम्भिक चरण के समाप्त होने और अंतिम चरण के प्रारम्भ होने तक स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती चली गई।[3] उसे पूर्ण रूप से पुरूषों पर निर्भर कर दिया गया।[4] अमेरिकी लेखिका के केथरीन मेयो ने हिन्दू पुरूषों की कठोर आलोचना मदर इण्डिया में की।[5] मध्य युग में मुस्लिम आक्रांताओं के कारण समाज का ताना बाना बुरी तरह से बिखर गया। हिन्दू समाज ने अपनी धर्म एवं संस्कृति को बचाने के लिए विविध प्रकार के रक्षात्मक उपाय किए स्त्री की सुरक्षा के मद्देनजर समाज द्वारा किए गए ये प्रयास आगे जाकर सदैव के लिए उसके पैरों में बंधी बेड़ियों की तरह हो गए। जिसके कारण उसकी (भारतीय स्त्रियों एवं बच्चियों की यह) स्थिति इतनी दर्दनाक एवं पीड़ादायक हो गई कि भारतीय संतों समाजसुधारकों एवं कवियों का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट हुआ। उन्होंने अपनी काव्य रचना में उसे स्थान दिया। मध्यकालीन संत एवं समाज सुधारक गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा–कत विधि सृजी नारी जग माहीं पराधीन सपनेहुं सुख नाहीं।।''[6] इसी भॉति आधुनिक युग में महादेवी वर्मा ने लिखा– मैं नीर भरी दुःख की बदली[7] अथवा मैथिलीशरण गुप्त की रचना–अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, महाप्राण निराला की विधवाओं पर लिखी सृजना वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर[8] भारतीय नारी की स्थिति को दर्शाते हैं।

स्वतंत्रता आंदोलन के उन्नायकों ने भारतीय नारी की स्थिति को सुधारने के लिए उसे राजनीतिक व्यवस्था में सहभागी बनाने का निश्चय किया। जिसकी परिणति संविधान में महिलाओ के बारे में किए गए विविध प्रावधान एवं इन प्रावधानों के अनुसरण में विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों से हुई। स्वतंत्रता के बाद महिला अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम (1954), हिन्दू विवाह अधिनियम (1955), हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (1956), हिन्दू योग्य एवं भरण पोषण अधिनियम (1956) शामिल हैं।[9]

आधुनिक युग में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता

राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता को पुरूषों के समकक्ष करने के लिए सबसे पहला प्रयास उन्हें मताधिकार प्रदान करना था। यहॉ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि ज्ञान विज्ञान में अग्रणी माने जाने वाले ब्रिटेन में महिलाओं को मात्र वोट देने का अधिकार लम्बे समय तक संघर्ष करने के बाद 1928 में मिला। इस दौरान उन्हें यह लड़ाई अपने पुरूषों के खिलाफ लड़नी पड़ी। सड़कों पर गलियों में लड़ाई लड़ते हुए अपार कष्ट एवं अपमान झेलना पड़ा जबकि भारतीय संविधान में सहज रूप से अधिकार मिले। महिलाओं के सशक्तिकरण के वैश्विक प्रयास अग्रांकित तालिका में दिए गए है।[10]

क्र.सं.	वर्ष	देश का नाम	घटना विवरण
1.	1611	संयुक्त राज्य अमेरिका	मैसाच्युसेट्स राज्य में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ।
2.	1781	संयुक्त राज्य अमेरिका	मैसाच्युसेट्स राज्य में महिलाओं का वोट देने का अधिकार वापस लिया गया।
3.	1788	फ्रांस	फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ कांडसैंट ने महिलाओं को शिक्षा, नौकरी प्रदान करने तथा राजनीति में भाग लेने देने की मांग की थी।
4.	1840	संयुक्त राज्य अमेरिका	लुक्रीशिया ने ईक्वल राइट एसोसिएशन अर्थात् 'समान अधिकार सगंठन' की स्थापना करके अन्य महिलाओं की भांति नीग्रो महिलाओं के समान अधिकारों की जोरदार मांग की थी।
5.	1857	संयुक्त राज्य अमेरिका	8 मार्च 1857 को न्यूयार्क के सिलाई उघोग और वस्त्र उघोग में कार्यरत महिलाओं ने पुरूषों के समान वेतन एवं 10 घंटे के कार्य दिवस के निर्धारण हेतु हड़ताल की थी। इसी दिवस को विश्व भर में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है।

6.	1859	सोवियत संघ	सेंट पीटर्सबर्ग में महिला मुक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था।
7.	1869	संयुक्त राज्य अमेरिका	अमेरिका में राष्ट्रीय महिला मताधिकार संगठन की स्थापना की गई।
8.	1882	फ्रांस	फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो के संरक्षण में महिला अधिकार संगठन की स्थापना की गई।
9.	1893	न्यूजीलैण्ड	यहां महिलाओं को पहली बार मत देने का अधिकार दिया गया।
10.	1904	संयुक्त राज्य अमेरिका	अमेरिका में 'इन्टरनेशनल वीमेन्स राइट एलाइन्स' अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय महिला मताधिकार समिति की स्थापना की गई।
11.	1906	फिनलैण्ड	यहां पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ।
12.	1908	ब्रिटेन	'वीमेन्स फ्रीडम लीग' अर्थात् महिला मुक्ति संगठन की ब्रिटेन में स्थापना हुई।
13.	1911	जापान	जापान में पहला महिला मुक्ति आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।
14.	1912	चीन	महिलाओं की मताधिकार की मांग को लेकर नानकिंग में कई महिला संगठनों की जोरदार बहस हुई।
15.	1913	नावें	यहां महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार दिया गया।
16.	1913	आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया में पहली बार महिला दिवस मनाया गया।
17.	1913	स्विट्जरलैण्ड	यहां पहली बार महिला दिवस मनाया जा सका।
18.	1913	डेनमार्क	डेनमार्क में प्रथम बार महिला दिवस 1913 में मनाया गया।
19.	1936	फ्रांस	(1) महिलाओं को पहली बार फ्रांस में मताधिकार दिया गया। (2) नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मैडम क्यूरी सहित तीन महिलाएं पहली बार फ्रांस में मंत्री बनीं।
20.	1945	इटली	महिलाओं को इटली में मताधिकार दिया गया।
21.	1951	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने महिलाओं को पुरूषों के समान वेतन दिलाने हेतु समान श्रम के लिए समान वेतन सम्बन्धी नियम पारित किया।
22.	1952	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने भारी बहुमत से महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों का नियम पारित किया।
23.	1957	ट्यूनीशिया	यहां स्त्री–पुरूष समानता का कानून पास किया गया।
24.	1959	श्रीलंका	श्रीलंका में विश्व की 'प्रथम महिला प्रधानमन्त्री' के रूप में श्रीमती भंडारनायके चुनी गई।
25.	1968	ईरान	यहां महिलाओं को अपने पति की आज्ञा के बिना नौकरी का अधिकार प्रदान किया गया।
26.	1975	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	इस वर्ष पूरे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया।
27.	1975	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	'कोपेनहेगन' में पहला अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया।
28.	1985	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	'नैरोबी' में दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ।
29.	1993	रूस	'वीमेन ऑफ एशिया' नामक राजनैतिक आन्दोलन की नींव रखी गई और इस आन्दोलन की 21 सदस्या 1993 के संसदीय चुनाव में विजयी हुई।
30.	1993	भारत	महिलाओं की सेना के साथ–साथ नौसेना और वायुसेना में भी नियुक्तियां की गई।
31.	1995	चीन	'शंघाई' में तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया।
32.	1997	ईरान	पहली बार चार महिला न्यायधीशों की नियुक्यिां की गई।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से महिला मतदाताओं का प्रतिशत निरन्तर बढ़ता जा रहा है। 73 एवं 74 वें संविधान संशोधन के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में महिलाओं को न्यूनतम एक तिहाई स्थानों के आरक्षण ने राजनीति में महिला–पुरूष सहभागिता की स्थिति को बिल्कुल बदल दिया।[11] जहॉ पहले राजनीति में मात्र वे ही महिलाऍ भाग लेने का निर्णय करती थीं जो उच्च वर्ग की थी और जिन्हें राजनीति विरासत में मिली थी। या जिनके परिवार के राजनीति में सक्रिय थे। यथा–विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इन्दिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, वसुंधरा राजे, नजमा हेपतुल्ला, मीरा कुमार, आदि। लेकिन 73 वें एवं 74 वें संशोधन ने राजनीति में महिला–पुरूष सहभागिता के स्वरूप को बिल्कुल परिवर्तित कर दिया। राजनीति में महिलाओं की सहभागिता का प्रतिशत ना केवल अप्रत्याशित रूप से बढ़ा बल्कि समाज के निम्नतक स्तरों तक विस्तीर्ण भी हुआ। समाज के वे वर्ग जो कभी उच्च वर्गो अथवा यों कहें कि उच्च जाति के पुरूषों के सामने से निकल भी नहीं सकते थे। इन वर्गों की महिलाओं ने गॉवों की संकीर्ण राजनीति के चलते कभी अपने चेहरे से घूंघट नही हटाया, कभी पंचायत भवन के सामने से निकलने की हिम्मत नहीं की। वे आज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय राजनीति में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं।

राजनीतिक सहभागिता में गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन

संविधान में किए गए 73 वे एवं 74 वें संशोधन के पश्चात् जब स्थानीय निकायों के प्रथम चुनाव हुए तथा बहुत अधिक मात्रा में महिलाऍ निर्वाचित होकर आई तो उन्हें

समाज की कटु आलोचना सहन करनी पड़ी। उन पर भॉति–भॉति के आक्षेप लगाए गए। यह कहा गया कि राजनीति करना महिलाओं के बस की बात नहीं है। उन्हें तो घर सम्हालना चाहिए अथवा वे तो नाम मात्र की जनप्रतिनिधि हैं, समस्त निर्णय एवं कार्य तो उनके पति एवं रिश्तेदार करते हैं। सरपंच पति, प्रधान पति जैसे कई नवीन शब्द समाज में प्रचलित हो गए।

निष्कर्ष

आज जब उपरोक्त संविधान संशोधनों को लागू हुए लगभग 25 वर्ष हो गए हैं, राजनीति में महिला सहभागिता में वृद्वि के लिए जो दूरदर्शी निर्णय शाासन सत्ता द्वारा किया गया था, उसे भारत की महिलाओं ने सत्य सिद्व किया। जो विश्वास गांधीजी ने महिला शक्ति के ऊपर किया था, उस विश्वास को उन्होंने सही सिद्व किया। जहॉ पूर्व में महिलाओं को शासन कार्य में सहायता करने के लिए अपने पति/परिवार वालों की आवश्यकता होती थी। वहीं अब वे स्वयं आगे बढकर शासन सूत्र सम्हाल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाऍं अब राजनतिक मुद्दों पर विचार–विमर्श करती हैं। पदस्थ जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली को तर्क की कसौटी पर कसती हैं और निवचिनों में मत किस प्रत्याशी को देना है, इसका निर्णय वे स्वयं करती है। सीधे सरल शब्दों में कहे तो वे राजनीति का मूल्य समझने लगी हैं। वोट की ताकत को पहचानने लगी हैं।

विगत दशक में स्थानीय स्तर पर जिस उच्च कोटि के महिला नेतृत्व का विकास हुआ है, वह निश्चय ही श्लाघनीय है। स्थानीय शासन की संस्थाओं को नवजीवन मिला है। क्योंकि महिलाओं की यह प्रवृत्ति होती है कि वे निरन्तर नवाचार व नवसृजन में लगी रहती हैं। रचनात्मक कार्यो में उनकी सहज रूचि होती है। यही कारण है कि आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दशा और दिशा दोनों बदल गए हैं। वे राजनीति में पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ग्राम्य जीवन की तसवीर अब बिलकुल बदल चुकी है। गॉवों में सामाजिक कुरीतियॉ तेजी से मिटती जा रही हैं। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, बाल विवाह निषेध जैसे सर्वव्यापी मुद्दों पर उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। सही मायने में एक परिपक्व राजनीतिक संस्कृति का विकास हुआ है।

यह एक सर्वमान्य सत्य है कि भारत को आगे बढ़ना है और पुनः विश्वगुरू बन कर वैश्विक जनमानस का नेतृत्व करना है तो उसे महिलाओं की शक्ति को पहचानना होगा और तद्नुरूप कार्य करना होगा। नेपोलियन बोनपार्ट ने एक बार कहा था। ''तुम मुझे अच्छी माताऍं दो, में तुम्हे अच्छा राष्ट्र दूंगा।'' यह उक्ति शतप्रतिशत सत्य है। क्योंकि बालक की प्रथम गुरू उसकी मॉ होती है जो चरित्र निर्माण का कार्य करती है। एक बालक बड़ा होकर राष्ट्र का अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनेगा या अपराधी बनेगा, यह निर्णय बचपन में माता के द्वारा दिए गए संस्कारों से हो जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बनाने वाली उनकी मॉ ने उन्हें सत्य के प्रति आजीवन प्रतिबद्ध रहने की शिक्षा दी। नन्हें शिवा को छत्रपति शिवाजी बनकर मुगलों से संघर्ष की प्रेरणा देने वाली उनकी मॉ जीजाबाई थी।

अतः भारत के बेहतर भविष्य के लिए यह अपरिहार्य है कि यथासम्भव भारतीय राजनीति के सभी स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जाए। इसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि महिला की स्थिति में अप्रत्याशित रूप से सुधार होगा और वे एक नए शिक्षित, स्वस्थ व उन्नत भारत का निर्माण करेंगी। समाज में महिलाओं की सशक्त भूमिका को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्व विचारक रॉबर्ट जी.इंगरसोल ने लिखा है ''महिलाओं की मुक्ति के बिना, दूसरे शब्दों में कहें तो माताओं की मुक्ति के बिना पुरूषों की महान पीढ़ी का निर्माण नहीं हो सकता।[12]

भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा उद्धृत की गई कविता की चार पंक्तियॉ स्त्री अधिकारिता की बात करती है।[13]

हटा दो सब बाधाएं मेरे पथ की,
मिटा दो आशंकाएं सब मन की,
जमाने को बदलने की शक्ति को समझो,
कदम से कदम मिला के चलने तो दो मुझे।''

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, पृ. 425, प्रो. बी.एम.शर्मा डॉ. रामकृष्ण दत्त शर्मा, डॉ, सविता शर्मा, गांधी दर्शन के विविध आयाम, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, वर्ष 2019, पृ.143*
2. *एस. गोपालन ''राजनीति में महिलाओं और पुरूषों की सहभागिताः भारतीय परिदृश्य'', ससंदीय पत्रिका, खंड 43, अंक 3, सितम्बर 1997, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, पृ.28*
3. *उपरोक्त, पृ.28*
4. *अरूण कुमार तिवाड़ी, भारत में मानवाधिकार एवं महिला सशक्तिकरण, लोकतंत्र समीक्षा, खण्ड 37, अंक 1–4, जनवरी–दिसम्बर 2005 पृ. 95*
5. *मृणालिनी सिन्हा, स्पेक्टर्स ऑफ मदर इण्डिया डरहम एवं लंदन, ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006; ज्योति अटवाल, भारतीय स्वतंत्रता, संग्राम में महिलाओं की भूमिका योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, वर्ष 60, सितम्बर 2016, पृ. 29*
6. *गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस से ली गई ये पंक्तियाँ भारतीय नारी की करूण दशा को उजागर करती हैं।*
7. *प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित यह कविता ''मैं नीर भरी दुःख की बदली'' नारी की युगों–युगों की पीड़ा व दुखों को दर्शाती है।*
8. *महाप्राण निराला भारत में विधवा की करूण दशा को देखकर इतने अधिक द्रवित हुए कि उन्होंने लिखा–वह (विधवा) तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर*
9. *प्रमिला कलहण, महिलाओं के साथ भेदभावःबदलती स्थिति, योजना, जनवरी 1997, पृ.86*
10. *उमेश चंद अग्रवाल राजनीति और प्रशासन में महिलाऍं, योजना, दिसम्बर 2000, पृ.16*
11. *भारत का संविधान, अनुच्छेद 243 घ*
12. *रॉबर्ट जी.इंगरसोल, रोजगार समाचार, नई दिल्ली, 22–28 मार्च, 1997, पृ 01*
13. *श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा 16 फरवरी 2008 को पटना में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना नामक कार्यक्रम के उद्घाटन के समय दिये गए भाषण के अंश, योजना, अक्टूबर 2008, पृ.7*